# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी श्री रजत यादव (आई.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 121/2021

1. श्रीमती निर्मला धाभाई पत्नि स्व० श्री भूपेन्द्र सिंह धाभाई उम्र ५४ वर्ष जाति धाभाई निवासी नया शहर, किशनगढ़ जिला अजमेर (राज०)

– प्रार्थीया

बनाम

1. श्रीमती वीना जैन पत्नि श्री उम्मेद सिंह जैन उम्र बालिग जाति जैन निवासी लेक्चरार कालोनी, सिटी रोड़, मदनगंज किशनगढ़, जिला अजमेर (राज०)
2. हरीराम दत्तक पुत्र श्री भैरू उम्र बालिग जाति गुर्जर निवासी रा० मा० विधालय के पास गुजरियावास, पुराना शहर किशनगढ़, जिला अजमेर (राज०)
3. तहसीलदार, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर (राज०)

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित वकील प्रार्थी श्री हनुमान प्रसाद शर्मा

दिनांक 21.08.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता श्री परमानन्द शर्मा के द्वारा अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् पेश कर कथन किया कि प्रार्थीया की खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम किशनगढ़, पटवार हल्का किशनगढ़, भू अभि. नि. किशनगढ़, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर में स्थित हैं जिसके खसरा संख्या 1473/4 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा व खसरा संख्या 1473/5 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा हैं। प्रार्थीया की प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि के पश्चिम दिशा में खसरा संख्या 1473/6 व खसरा संख्या 1473/3 भूमि हैं जो राजस्व रिकोर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज हैं। प्रार्थीया की प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 1 में वर्णित भूमि के उत्तर दिशा में खसरा संख्या 1474 की भूमि स्थित हैं। खसरा संख्या 1474 की भूमि राजस्व रिकोर्ड में अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज हैं तथा प्रार्थीया की भूमि के पूर्व व दक्षिण दिशा में खसरा संख्या 1470 की सरकारी भूमि हैं। प्रार्थीया के द्वारा प्रार्थीया की प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 1 में वर्णित भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसके तहत दिनांक 20.04.2021 को हल्का पटवारी सीमाज्ञान करने हेतु मौके पर गया था परन्तु प्रार्थीया की भूमि की सीमाओ का मौके व नक्शे से मिलान नही होने के कारण सीमाज्ञान नही हो सका था। प्रार्थीया की प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 2 में वर्णित भूमि खसरा संख्या 1473/5 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा व खसरा संख्या 1473/4 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा भूमि के पश्चिम दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 की खसरा संख्या 1473/6 व 1473/3 की भूमि स्थित हैं। दिनांक 20.04.2021 को सीमाज्ञान करवाने से अप्रार्थी संख्या 1 नाराज हो गई ओर उक्त के बाद आये दिन प्रार्थीया से विवाद कारित करती रहती हैं। प्रार्थीया के द्वारा प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 1 में वर्णित भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसके तहत हल्का पटवारी के

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा सीमाज्ञान करने हेतु मौका पर गया था परन्तु प्रार्थीया की भूमि की सीमाओ का मौके व नक्शा से मिलान नही होने के कारण सीमाज्ञान नही हो सका था। प्रार्थीया की भूमि का विधिक रूप से सीमाज्ञान नही होने के कारण उक्त का गलत फायदा लेकर खसरा संख्या 1473/6 व 1473/3 के मालिक के द्वारा प्रार्थीया की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया गया तथा प्रार्थी के उपयोग उपभोग में बाधा कारित की जाती रही हैं। प्रार्थीया की प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 1 में वर्णित भूमि खसरा संख्या 1473/5 व खसरा संख्या 1473/4 के पश्चिम दिशा में स्थित भूमि खसरा संख्या 1473/6 व खसरा संख्या 1473/3 के मालिक के द्वारा भूमि की सीमाओ का मौके व नक्शा के अनुसार मिलान नही होने के कारण सीमाज्ञान नही हो पाने के कारण उक्त का दुरूपयोग कर प्रार्थीया की भूमि पर अवैध कृत्य कर विवाद करने के कारण प्रार्थीया के द्वारा प्रार्थीया की प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 1 में वर्णित भूमि का नाप चॉप करवाकर पत्थर गढी करवाने बाबत श्रीमान के यहाँ यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ हैं। प्रश्नगत प्रार्थना पत्र पत्थर गढी के बाबत होने के कारण पडौसी खातेदारो को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक होने के कारण पक्षकार बनाये गये हैं। अप्रार्थी संख्या 3 भू धारी हैं एवं राजस्व रिकोर्ड अप्रार्थी संख्या 3 के नियत्रंण व निर्देश में होने तथा माननीय न्यायालय के द्वारा पारित आदेश की पालना अप्रार्थी संख्या 3 के द्वारा की जाती हैं इस कारण आवश्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकार बनाया गया हैं। प्रार्थना पत्र पेश करने का वाद कारण दिनांक 20.04. 2021 को उत्पन्न होने से वाद कारण निरन्तर रूप से जारी हैं। श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीया की प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि ग्राम किशनगढ़, पटवार हल्का किशनगढ़, भू अभि. नि. क्षेत्र किशनगढ़, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर में स्थित हैं जिसके खसरा संख्या 1473/5 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा व खसरा संख्या 1473/4 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा का नाप चौक कर पत्थर गढी करने का आदेश पारित कर अप्रार्थी संख्या 3 से नाप चौक करवाकर पत्थर गढी करवायी जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 01.09.2021 को दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 27.10.2021 को अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 के कथन इस अंश तक स्वीकार है कि इस अनुच्छेद मे वर्णित कृषि आराजी ग्राम किशनगढ़ ए. में स्थित है। शेष कथन प्रार्थिया स्वयं दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध करे। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 के कथन प्रार्थिया स्वयं दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध करे। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 के जबाब मे लेख है कि ग्राम किशनगढ़ ए. खसरा नम्बर 1474 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 2 के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि है जो खसरा नम्बर 1473/1, 1473/2, 1473/6 व 1473/5 की भूमि के उत्तर दिशा में स्थित है। खसरा नम्बर 1470 की भूमि के कथन प्रार्थिया स्वयं सिद्ध करे। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 4 के कथन प्रार्थिया स्वयं दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध करे। अप्रार्थी संख्या 2 की जानकारी अनुसार प्रार्थिया स्वयं की कृषि आराजी को अर्से दराज से काश्त करवा रही है। तथा अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। प्रार्थिया ने स्वयं की भूमि पर पक्की दीवार का निर्माण करवा रखा है। अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने हिस्से की खसरा नम्बर 1474 के चारो ओर कॉटो की बाड़ कर रखी है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 5 के जबाब में लेख है कि इस अनुच्छेद में वर्णित दिनांक 20.4.2021 को मौके पर किसी भी प्रकार का विवाद नही हुआ प्रार्थिया अपने हिससे की भूमि पूर शरीरण काश्त है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 6 के कथन कपोल कल्पना पर आधारित होने से अस्वीकार है। प्रार्थिया अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है प्रार्थिया की भूमि पर कब्जा करने के कथन गलत है अतः अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 7 के जबाब में लेख है कि सीमाज्ञान के विवाद होने की स्थिति में ही पत्थरगढ़ी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है। प्रार्थिया अपने हिस्से की भूमि पर मौके पर काबिज काश्त है ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बिना किसी आधार के पेश किए जाने के कारण स्वीकार योग्य नही है। प्रार्थिया इस अनुच्छेद में वर्णित अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी नही है। प्रार्थिया ने खसरा नम्बर 1473/5 व 1473/4 की भूमि के चारो और पक्की दीवार का निर्माण करवा रखा है। प्रार्थिया अपने हिस्से की भूमि पर अर्से दराज से काबिज काश्त है। प्रार्थिया माननीय न्यायालय से किसी भी प्रकार

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी नही है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थिया का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने का आदेश प्रदान करावे।

दिनांक 11.06.2025 तक भी जवाब पेश नहीं करने के कारण दिनांक 11.06.2025 को अप्रार्थी संख्या 03 का जवाब बन्द कर दिया गया। दिनांक 19.08.2025 का वकील प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराया गया। हमारे द्वारा वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी ग्राम किशनगढ स्थित भूमि खसरा संख्या खसरा संख्या 1473/4 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा व खसरा संख्या 1473/5 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा (अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2067–70) प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि है तथा हल्का पटवारी के द्वारा दिनांक 20.04.2021 को वादअधीन भूमि का सीमाज्ञान किया गया है। प्रार्थी उक्त आराजी ग्राम किशनगढ स्थित भूमि खसरा संख्या खसरा संख्या 1473/4 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा व खसरा संख्या 1473/5 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा (अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2067–70) के रिर्कोडेड खातेदार काश्तकार होने से भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी हैं, अतः प्रार्थीश्स का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू.राज. अधि. को स्वीकार किया जाता है।

## आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू. राज. अधि. को स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम ग्राम किशनगढ स्थित भूमि खसरा संख्या खसरा संख्या 1473/4 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा व खसरा संख्या 1473/5 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा (अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2067–70) भूमि का मौके पर नाप चौप कर पत्थरगढ़ी करने हेतु तहसीलदार किशनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि वे मौके पर दोनो पक्षों की उपस्थिति में नाप चौप कर पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करे। कमिश्नर फीस रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रू0 तय किये जाते है। तहसीलदार किशनगढ को कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिये जातें है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर शुल्क जमा करवाने के उपरान्त समस्त पडोसी खातेदारान को सूचना पत्र जारी करने के उपरान्त मौके पर पत्थरगढी की कार्यवाही करें । पत्थरगढी की कार्यवाही में किसी भी प्रकार की बेदखली अथवा कब्जे छुडवाने से संबंधित कार्यवाही नहीं करें। यदि मौके पर प्रार्थी की भूमि अथवा निकटवर्ती राजकीय भूमि पर आंशिक या पूर्ण भाग पर किसी अन्य का कब्जा हो तो मौका पर्चा में इसका उल्लेख करते हुये प्रार्थी को नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु सूचित करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 21.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

21/8/25

रजत यादव (आई.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner